153/08

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 685815

हम कि डा0 प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मु0–बोदकरपुर, तहसील –सदर, परगना– हवेली, जिला– जौनपुर एवं
डा0 शीला सिंह पुत्री श्री रमाशंकर सिंह ग्राम व मो0– जयप्रकाश नगर, शिवपुरवा वाराणसी।
श्वेता सिंह पत्नी पंकज सिंह ग्राम फत्तेपुर (मानिकपुर), पो0– सैदही, जिला अकबरपुर (अम्बेडकरनगर)।

यह कि हम इस विलेख के निष्पादक श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के कृत्यों एवं संस्कार तथा उनकी शिक्षा–दीक्षा, राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से अति प्रभावित होकर भारत के लोगों के कल्याण के लिये तथा उनकी शिक्षा–दीक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उनसे सम्बन्धित पर्यावरण की सुरक्षा और उसके निवारण के लिये तथा उनके चरित्र, संस्कार तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आदि के लिये भी एक न्यास की स्थापना करना चाहते हैं और उसके लिये हम निष्पादक इस विलेख के अन्त में वर्णित सम्पत्ति का तत्काल सदैव के लिये संकल्प एवं समर्पण इस न्यास के पक्ष में कर रहे हैं। अतः हम निष्पादक निम्नलिखित

क्र० 2624 ......स्टाम्प विक्रय की तारीख 2/12/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.........स्टाम्प की धनराशि

क्रेता का नाम व पूरा पता ...... प्रदीप कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह

ग्राम मो० नौपेड़वा पो० डोभी जौनपुर

स्टाम्प विक्रेता ...... जौनपुर

हस्ताक्षर...............

SENIOR TREASURY OFFICER
2 DEC
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 685816

शर्तों के अनुसार इस न्यास का सृजन कर रहे हैं। और उसके लिये यह न्यास का विलेख स्वेच्छापूर्वक एवं सहर्ष निष्पादित कर रहे हैं कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

1. यह कि न्यास का नाम "श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशनल चैरिटेबुल ट्रस्ट" रहेगा।
2. यह कि इस न्यास के न्यासीगण का न्यासी मण्डल न्यूनतम तीन व्यक्तियों का सदैव रहेगा। और तात्कालिक न्यासी मण्डल को उसमें किसी कारणवश किसी स्थायी रिक्ति के अवस्था में शेष न्यासीगण जो रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवनशैली के अनुयायी निष्ठावान, और न्यास के उद्देश्य हेतु समर्पित व्यक्ति के रिक्ति के बाद यथाशीघ्र एक माह के अन्दर उस व्यक्ति को लिखित सहमति एवं स्वीकृति के साथ चयनित करके उस रिक्ति की पूर्ति कर देंगे। और यही प्रक्रिया निरन्तर इस न्यास के अस्तित्व काल तक कायम रहेगी।
3. यह कि वर्तमान न्यासी मण्डल में हम निष्पादक के अतिरिक्त
   (1) डा0 शीला सिंह पुत्री श्री रमाशंकर सिंह ग्राम व मोहल्ला जयप्रकाशनगर शिवपुरवा वाराणसी।
   (2) श्वेता सिंह पत्नी पंकज सिंह ग्राम फत्तेपुर (मानिकपुर), पोस्ट सैदही, जिला अकबरपुर (अम्बेडकरनगर)।
   अन्य न्यासीगण बनाये गये हैं। जिन्होंने अपनी लिखित सहमति एवं स्वीकृति दे दिया है।
4. यह कि इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष में रहेगा।
5. यह कि इस न्यास के द्वारा प्राथमिक, शिशु शिक्षा से लेकर महाविद्यालय से स्नातकोत्तर महाविद्यालय बी0एड0, एम0एड0 तथा अन्य विद्यालय प्रत्येक क्षेत्र के तक की शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान तकनीकी शिक्षा आदि के लिये विभिन्न विद्यालय भवनों की स्थापना विभिन्न उपलब्ध व उपयुक्त स्थलों पर की जायेगी और उसके साज

प्रदीप कुमार सिंह

आज [illegible] रजिस्टर की तिथि [illegible]

बही सं० [illegible] जिल्द [illegible] पृष्ठ [illegible]

क्रमांक [illegible] पृष्ठ पर [illegible]

श्री [illegible]

[illegible]

हस्ताक्षर [illegible]

तारीख [illegible]

न्यास पत्र

25,000.00	500.00	20	520.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती डा0 प्रदीप कुमार सिंह

पुत्र / पत्नी श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी बोदकरपुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 8/12/2008 समय 5:24PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया ।

(राम अकबाल सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
8/12/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री/श्रीमती डा0 प्रदीप कुमार सिंह

पुत्र/पत्नी श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

पेशा व्यापार

निवासी बोदकरपुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री जगदीश प्रसाद

पुत्र श्री स्व0 रामखेलावन

पेशा शिक्षक

निवासी सुल्तानीपुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

व श्री ओमप्रकाश सिंह

पुत्र श्री श्रीकान्तप्रसाद सिंह

पेशा वकालत

निवासी मियाँपुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

(राम अकबाल सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
8/12/2008

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 685817

सामान, शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीगण की नियुक्ति उचित वेतनमान आदि एवं सेवा परिलब्धियों की उत्तम शिक्षा आदि, उत्तम प्रबन्धन एवं प्रशासन के लिये कुशल योग्य एवं विधिक नियम के अनुसार पात्र व्यक्तियों को सेवायोजित अथवा अनुबन्धित किया जायेगा। और उसके लिये आवश्यक धन, सामग्री, उपकरण, रख–रखाव, सम्पत्ति आदि की व्यवस्था की जायेगी और इसके अतिरिक्त इसी प्रकार प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनाथालय और वाचनालय एवं कीणा, आमोद–प्रमोद व मनोरंजन के स्थल, वाटिका, चिकित्सालय, आमोद–प्रमोद व मनोरंजन के स्थल, वाटिका, चिकित्सालय आदि की उचित और यथासम्भव उचित व्यवस्था की जायेगी। और साथ ही रवीन्द्रनाथ टैगोर के उपलब्धि और संस्कार तथा चरित्र की और राष्ट्र के प्रति समर्पण की शिक्षा व दीक्षा के पठन व पाठन व प्रचार–प्रसार हेतु ही सतत उचित प्रयास किया जायेगा। तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर के संस्कार व चरित्र तथा देशभक्ति व उनके राष्ट्र के प्रति भावना की शिक्षा–दीक्षा एवं उपदेशों की उपयोगिता की ओर भी ध्यान दिया जायेगा। और उसके लिये आवश्यकतानुसार उचित साधनों व श्रोतों एवं चन्दा आदि से सहयोग व सहायता व सतत निष्ठापूर्वक प्रयास किया जायेगा। और इस न्यास के लाभार्थियों के हित में उनकी प्रगति व विकास के लिये हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

6. यह कि यह न्यास मुख्यतः भारतवर्ष एवं उत्तर प्रदेश राज्य के रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुयायियों तथा देशभक्तों का रहेगा। और उनकी भावनाओं एवं आस्था का सदैव आदर करेगा। और तदनुसार आचरण के लिये कृतसंकल्प रहेगा। और विशेष रूप से उनके शिशुओं, बालकों, बालिकाओं एवं युवावर्ग के शिक्षा–दीक्षा, स्वास्थ्य, चरित्र, जीविका एवं सभी सम्भव कल्याणकारी कार्यों के प्रति और उनके असहाय वृद्ध, विकलांग, पीड़ित, बेरोजगार, असमर्थ, अशक्त, निर्बल एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों की

क्रमांक २६२१६ ...... स्टाम्प निकाल की तारीख २१९१०८
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि १००/-
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....
२००२६९२

बिक्री ....

न्यासी

Registration No 153 Year : 2008 Book No. 4

0101 डा0 प्रदीप कुमार सिंह

राजेन्द्र प्रताप सिंह

चोचकपुर पो0 हरेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रभात चन्द्र उपाध्याय) U 844426
मुद्रा रोकड़िया
कोषागार-जौनपुर

उचित एवं आवश्यक सहायता एवं कल्याण और उनके स्वास्थ्य, भरण-पोषण, आवास एवं चिकित्सा आदि की उचित और आवश्यक व्यवस्था के लिये सदैव निष्ठापूर्वक प्रयासरत व कार्यशील रहेगा।

7. यह कि उपरोक्त न्यास के प्रथम न्यासी मण्डल में हम निष्पादक और उपरोक्त अन्य न्यासीगण उपरोक्त आजीवन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगे। और प्रधान न्यासी हम निष्पादक डा० प्रदीप कुमार सिंह आजीवन रहेंगे। और न्यास का सभी कार्य व संचालन भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्राविधान के अनुसार निष्ठापूर्वक, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ रवीन्द्रनाथ टैगोर के उपदेशों व सन्देशों के अनुसार होता रहेगा। और तदनुसार न्यासी मण्डल उपरोक्त शर्तों के अधीन कार्यरत रहेगा। और कभी इस न्यास के हित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। और न इस न्यास का उल्लंघन या इसके साथ कोई विश्वासघात करेगा।

8. यह कि उपरोक्त न्यासी मण्डल का पूर्णाधिकार प्रधान न्यासी हम निष्पादक डा० प्रदीप कुमार सिंह में सामान्यतः निहित रहेगा। जिन अधिकारों का समय-समय पर सुविधा व आवश्यकता के अनुसार प्रधान न्यासी के द्वारा लिखित निर्देश से किसी अन्य न्यासी को प्रत्यायोजन सम्भव रहेगा। और न्यासी मण्डल के किसी मतभेद की अवस्था में बहुमत के आधार पर अवांछित रूप से हुये किसी प्रस्ताव व विनिश्चय पर प्रधान न्यासी को उस मतभेद के अनुसार विवेकानुसार समाधान एवं उस विनिश्चय व प्रस्ताव को निरस्त करके उस स्थान पर अपना निर्देश अपने विवेकानुसार देने का अधिकार रहेगा। और इस ट्रस्ट की सभी संस्थाओं व कार्ययोजनाओं एवं कार्यकलापों से सम्बन्धित कर्मचारीगण की नियुक्ति सेवाशर्त, सेवासमाप्ति, सेवाविरतता, सेवामुक्ति, पदावनति, निलम्बन आदि का भी सभी अधिकार न्यासीमण्डल की ओर से प्रधान न्यासी में निहित रहेगा। जिसका उपयोग प्रधान न्यासी उपरोक्त उद्देश्यों एवं विषयों

क्रमांक 3162 ....स्टाम्प विक्रय की तिथि....21/9/08

....स्टाम्प की धनराशि 100

स्टाम्प विक्रेता

जिलाधिकारी

लाइसेंस....

SENIOR TREASURY OFFICER
21 ... 2008
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 844427

को ध्यान में रखकर इस न्यास के हित में निष्पक्ष रूप से किसी अनुचित भेद–भाव या द्वेष–भाव सें करेंगे। और आवश्यकतानुसार उससे सम्बन्धित किसी बाध्यकारी विधि का अनुपालन करेंगे। और विधि के अनुसार यदि आवश्यक होगा तो उसके लिये उचित प्रशासन योजना आदि की व्यवस्था भी अन्य न्यासीगण के सहयोग एवं परामर्श से करेंगे।

8 (ए) यह कि प्रधान प्रमुख न्यासी द्वारा यदि कही उ0प्र0 बोर्ड/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने पर वह संस्था शासन द्वारा निर्गत किये गये विधि–विधान से संचालित होगी तथा निम्न तथ्यों का भी आवश्यकतानुसार समावेश होगा।

8(बी) यह कि विद्यालय के संचालक मण्डल में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

8(सी) यह कि विद्यालय में कम से कम द 10प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे। और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

8(डी) यह कि संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी। और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त हेती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

[illegible] स्टाम्प विक्रय की तिथि [illegible]

[illegible] स्टाम्प की धनराशि [illegible]

[illegible] का नाम व पूरा पता ......

[illegible]

[illegible]

SENIOR TREASURY OFFICER

21 [illegible]

JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 844429

8(ई) यह कि संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

8(एफ) यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और इन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

8(जी) यह कि संस्था में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8(एच) यह कि संस्था में विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। तथा संस्था में उपरोक्त शर्तों का अनुपालन अक्षरशः किया जायेगा।

9. यह कि इय न्यास को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई अन्य सम्पत्ति अर्जित करने अथवा प्राप्त करने और रखने व धारण करने का अधिकार रहेगा। और वह कुल सम्पत्ति इस न्यास की रहेगी। और इसकी कोई अचल सम्पत्ति को किसी अन्य को स्थाई रूप से अन्तरित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं रहेगा।

10. यह कि किसी प्रकार का कोई दान–प्रतिदान अनुदान या अभिदान किसी व्यक्ति संस्था राज्य के द्वारा किसी सम्पत्ति या धन का इस न्यास के पक्ष में और इसके नाम से ही होगा।

11. यह कि इस न्यास का वित्तीय एवं आर्थिक प्रबन्धन और प्रशासन इस न्यास के हित में इसके नाम से सदैव सुचारु रूप से होता रहेगा। जिसकी व्यवस्था प्रधान न्यासी व न्यसी मण्डल के द्वारा उपरोक्तानुसार की जायेगी और उसके लिये आवश्यक कोष और उसके रख–रखाव की व्यवस्था और किसी बैंक, डाकखाना, वित्तीय संस्था आदि में उसके जमा व लाभदायी निवेश आदि की भी व्यवस्था उसी प्रकार होती रहेगी

क्रमांक 2630 स्टाम्प विक्रय का दिनांक 21-11-08

क्रेता एवं पक्षकार का पता .... स्टाम्प की धनराशि 100

क्रेता का नाम व पुत्र/पुत्री ....

2408624

(हस्ताक्षर)

...प्रकाश सिंह

स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं.

दीवानी न्यायालय, जौनपुर

तहसील..........

SENIOR TREASURY OFFICER
21 NOV 2008
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 844430

(प्रभात चन्द्र उपाध्याय)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार-जौनपुर

जिसका संचालन सामान्यतः प्रधान न्यासी के द्वारा या उनके निर्देशानुसार हो रहेगा। और समय–समय पर उसके लिये सक्षम वित्तीय परामर्श वित्तीय संस्था के सहायता एवं मार्गदर्शन एवं किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या उनकी फर्म या संस्था के सहायता व परामर्श से लिया जायेगा।

12. यह कि इस न्यास की सभी आय–व्यय का नियमानुसार नियमित लेखा–जोख निरन्तर रखा जायेगा और समय–समय पर उचित योग्य एवं सक्षम व्यक्ति अथवा किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या उनकी फर्म या संस्था के द्वारा उनका सम्परीक्षण कराया जायेगा।

13. यह कि किसी कर्मचारी या अनुबन्धित व्यक्ति या इस न्यास से सम्बन्धित किसी का कलाप के प्रभारी व्यवस्थापक या प्रबन्धक के पदनाम कार्य, कर्तव्य, दायित्व, कार्यविधि आदि की भी व्यवस्था उपरोक्तानुसार न्यासी मण्डल अपने प्रधान न्यासी के द्वारा करता रहेगा। और उन में से किसी व्यक्ति के द्वारा पद के दुरुपयोग या का शिथिलता या कार्य उदासीनता या कार्याभाव आदि की दशा में उसके विरुद्ध तत्काल उचित कार्यवाही करने का अधिकार भी प्रधान न्यासी में निहित रहेगा।

14. यह कि किसी भी समय तत्कालीन न्यासी मण्डल ने प्रधान न्यासी की स्वीकृति एवं सहमति से अन्य किसी व्यक्ति को किसी सामयिक अथवा एकमुश्त सर्वकालिक चन्दा या दान के आधार पर इस न्यास के प्रति निष्ठावान एवं इनके समर्थक श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के भावनाओं के अनुयायी को न्यासी बनाकर न्यासी मण्डल का अतिरिक्त सदस्य बना सकता है। और उसके तत्कालीन आकार का विस्तार कर सकता है और प्रधान न्यासी की मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थता की दशा में किसी अन्य न्यासी को पूर्व न्यासी की इच्छा व अनुदेश का आदर करते हुये उसे प्रधान न्यासी बना सकता है।

प्रदीप कुमार 16/6

क्रमांक 2639 ....स्टाम्प विक्रय की तिथि 21/12/08
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....स्टाम्प की धनराशि 100
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

2102624

श्री [illegible] सिंह
लाइसेंस [illegible]
विक्रेता [illegible]
तहसील........

SENIOR TREASURY OFFICER
21 NOV 2002
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH K 888039

15. यह कि प्रधान अर्थात मुख्य न्यासी श्री डा0 प्रदीप कुमार सिंह को यह अधिकार होगा कि वे अपने जीवन काल में ही किसी सक्षम व योग्य व्यक्ति को अपने पद पर नियुक्त कर दें। इस नियुक्ति को किसी भी स्तर पर कोई चुनौती देने की शक्ति नही र.खेगा।

<u>विवरण सम्पत्ति</u>

प्रधान प्रमुख न्यासी श्री डा0 प्रदीप कुमार सिंह व अन्य सदस्यों द्वारा 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर एजुकेशनल चैरिटेबुल ट्रस्ट में न्यस्त किया गया।

गवाह ओमप्रकाश सिंह
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, जौनपुर

प्रदीप कुमार सिंह

गवाह – जगदीश प्रसाद सिंह
पुत्र स्व. श्री [illegible]
36 AA [illegible]
जौनपुर

2632

0198102

2092674

कार्यालय उपनिबन्धक — जौनपुर

अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टस

	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
बायें हाथ की अंगुलियों के छाप					
दायें हाथ की अंगुलियों के छाप					
बायें हाथ की अंगुलियों के छाप					
दायें हाथ की अंगुलियों के छाप					
बायें हाथ की अंगुलियों के छाप					
दायें हाथ की अंगुलियों के छाप					
बायें हाथ की अंगुलियों के छाप					
दायें हाथ की अंगुलियों के छाप					

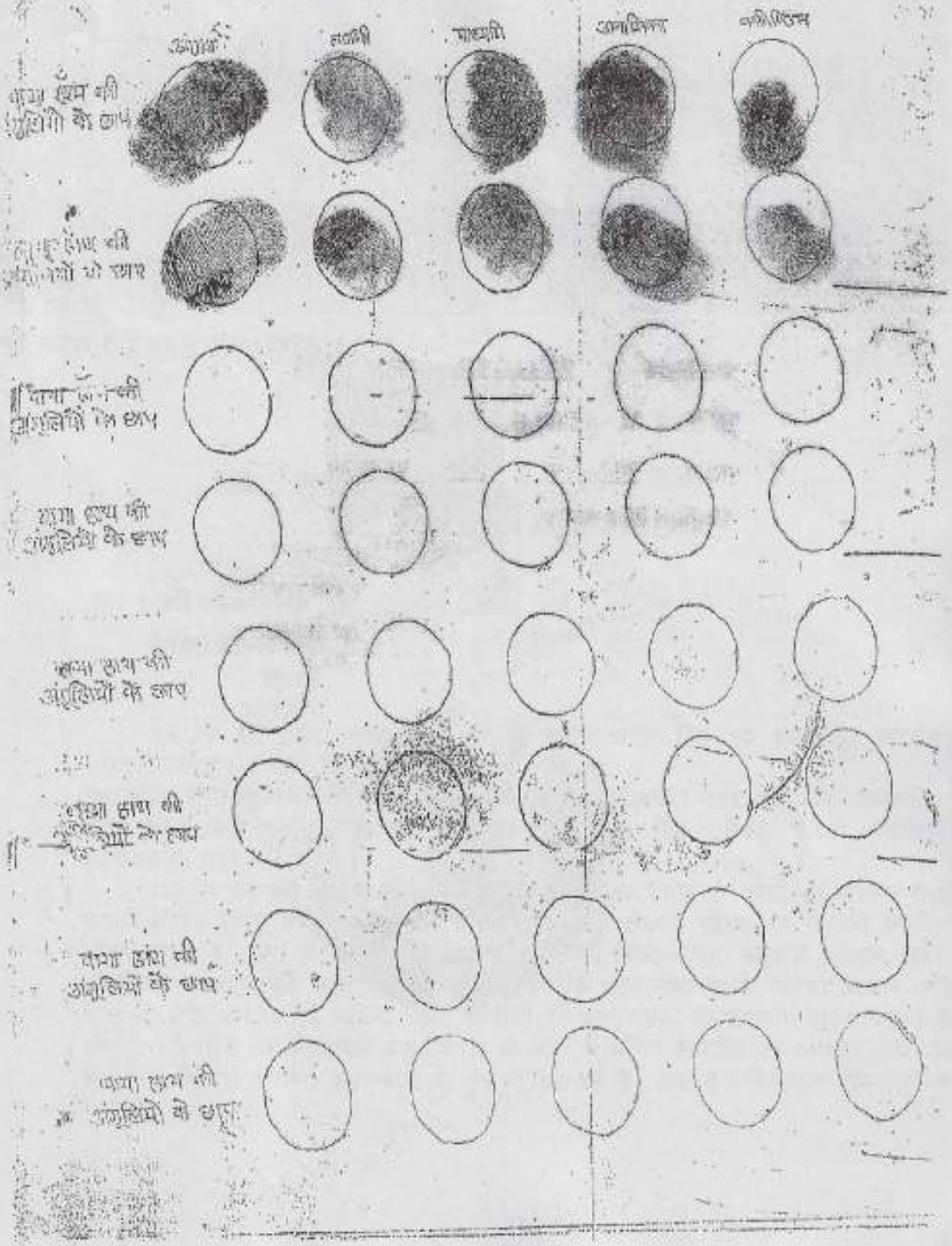

आज दिनांक **08/12/2008** को

वही सं **4** जिल्द सं **47**

पृष्ठ सं **307** से **324** पर क्रमांक **153**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

(राम अकबाल सिंह)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

8/12/2008